

कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स, एर्नाकुलम (केरल)

बनाम

द ऑफिशियल लिक्विडेटर, पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड, (पद लिक्विडिशन)

16 अक्टूबर, 1984

[वी. डी. तुलजापुरकर, वी. बालाक्रिष्णा एराडी और डी. पी. मदान

न्यायाधिपतिगण]

अति लाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम XIV), धाराये (5), 2 (9) और 4 सपिठत अधिनियम की दूसरी अनुसूची- परिसमापन में कंपनी- क्या अतिलाभ कर के लिए प्रभार्य है।

पूजी, आरक्षित और संचित लाभ- के बीच का अंतर- क्या कंपनी के समापन पर गायब हो जाता है।

निर्धारिती-कंपनी 8 अगस्त, 1960 को परिसमापन में चली गई। आयकर अधिकारी ने निर्धारिती-कंपनी की कर योग्य आय रुपये 5,79,678 मूल्यांकन वर्ष 1963-64 के लिए निर्धारित करते हुए, की राय थी कि यह राशि सुपर प्रॉफिट टैक्स के लिए देयता को भी आकर्षित करेगी और इसलिए निर्धारिती कंपनी को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा। निर्धारिती-कंपनी ने प्रभार्य लाभ को 'शून्य' दिखाते हुए अपना रिटर्न प्रस्तुत

किया, यह तर्क देते हुए कि सुपर प्रॉफिट टैक्स अधिनियम 1963 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्मूले के बाद से परिसमापन में कंपनी के संबंध में सुपर प्रॉफिट टैक्स का कोई दायित्व नहीं हो सकता है। 'मानक कटौती' की गणना इस तथ्य के कारण लागू नहीं थी कि परिसमापन में एक कंपनी को मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के पहले दिन के अनुसार भुगतान की गई शेयर पूंजी नहीं कहा जा सकता था जो कि समापन के लंबे समय के बाद था हालांकि, आयकर अधिकारी ने उपरोक्त विवाद को खारिज कर दिया और प्रभार्य लाभ की गणना रुपये 2,04,740 रु. में की, अधिनियम की धारा 2 (9) में का उल्लेख "मानक कटौती" के रूप में न्यूनतम राशि रुपये 50,000 अपनाने के बाद। अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील में उक्त आदेश की पुष्टि की गई लेकिन, निर्धारिती-कंपनी द्वारा आगे की अपील पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील की अनुमति देते हुए कहा: (1) परिसमापक के हाथों में केवल एक अभिन्न निधि है जिसे शेयर पूंजी, आरक्षित मुनाफे में विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसलिए अधिनियम की धारा 27 स्पष्ट रूप से मामले की ओर आकर्षित थी; और (ii) परिसमापन में कंपनी पर अतिलाभ का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम की धारा 4 परिसमापन में निर्धारिती कंपनी पर लागू नहीं होगी क्योंकि मानक कटौती सुनिश्चित करने में असमर्थ थी। उच्च न्यायालय ने राजस्व के अनुरोध पर दिए गए संदर्भ को खारिज कर दिया।

राजस्व द्वारा अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया:

(1) किसी कंपनी के परिसमापन में चले जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष को बनाने वाले किसी भी अगले वर्ष के पहले दिन की तरह, परिसमापक के हाथों में भुगतान की गई कोई भी राशि स्पष्ट रूप से मौजूद है- कंपनी की शेयर पूंजी या कोई भी राशि जिसे "आरक्षित" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। परिसमापन की तारीख के बाद किसी कंपनी के संबंध में पूंजी, आरक्षित और संचित लाभ के बीच का अंतर गायब हो जाता है और परिसमापक के हाथों में केवल एक एकीकृत या समेकित निधि होती है। उतार-चढ़ाव वाली शेयर पूंजी या रिजर्व की अवधारणा, जो दूसरी अनुसूची के नियम 1 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मूल आधार है, परिसमापन में एक कंपनी के संबंध में पूरी तरह से विदेशी है। [977 एच; 978 ई-एफ]

(2) "मानक कटौती" की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि "मानक कटौती" की गणना के उद्देश्य से कंपनी की पूंजी का पता लगाना होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है। लेकिन, दूसरी अनुसूची के नियम 1 की शर्तों से यह नोटिस करना महत्वपूर्ण है कि जब तक कंपनी के पास निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के पहले दिन के अनुसार भुगतान की गई शेयर पूंजी नहीं है, तब तक निर्धारित सूत्र कंपनी की पूंजी की गणना के लिए नियम में कोई आवेदन नहीं हो सकता है और "मानक कटौती" की गणना पूरी तरह से कंपनी की

पूंजी पर आधारित होने के कारण, यह सुनिश्चित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाती है। [976 बी;977 एफ-जी]

कमिश्नर ऑफ़ इंग्लैंड रेवेन्यू बनाम जॉर्ज बुरेल, 1924 2 [के.बी.] 52, 63 और बिर्च बनाम क्रॉपर [1889] एल.आर. 14 ऐप. कैस. 525, 546 संदर्भित किया गया।

आयकर आयुक्त बनाम गिरधर दास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 63 एलटी.आर. 300; पालन किया।

(3) आयकर अधिनियम 1961 की योजना के तहत, कर का शुल्क तब तक आकर्षित नहीं होगा जब तक कि मामला या लेनदेन प्रासंगिक गणना प्रावधानों के शासन के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्येक मामले में गणना प्रावधानों का चरित्र आरोप की प्रकृति से संबंधित होता है। इस प्रकार, चार्जिंग अनुभाग और गणना प्रावधान मिलकर एक एकीकृत कोड बनाते हैं। जब कोई ऐसा मामला होता है जिस पर गणना प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा मामला चार्जिंग अनुभाग के अंतर्गत आने का इरादा नहीं था। सुपर प्रॉफिट टैक्स अधिनियम 1963 की योजना आयकर अधिनियम 1961 के समान होने के कारण, यह माना जाना चाहिए कि कंपनी की पूंजी और उसके भंडार की गणना के लिए अधिनियम में निहित प्रावधान नहीं हो सकते हैं। परिसमापन में किसी कंपनी के संबंध में कोई भी आवेदन और

परिणामस्वरूप 'मानक कटौती' सुनिश्चित करने में असमर्थ है, अधिनियम की धारा 4 के तहत सुपर प्रॉफिट टैक्स का प्रभार ऐसे मामले में लागू नहीं होता है। (978 जी-एच:979 ए-सी]

आयकर आयुक्त, बेंगलोर बनाम बी.सी. श्रीनिवास शेटी, 128 एलटी.आर 294; संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2090/1980

उच्च न्यायालय, केरल के आई.टी.आर. संख्या 76/1977 में 30 जनवरी, 1979 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता के लिए अब्दुल खदर और कुमारी ए. सुभाषिनी।

प्रतिवादी की ओर से पी. गोविंदन नायर, एन. सुधाकरन और श्रीमती बेबी कृष्णन।

न्यायालय का निर्णय बालकृष्ण एराडी, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

क्या परिसमापन में कोई कंपनी सुपर प्रॉफिट टैक्स अधिनियम, 1963-1963 के अधिनियम XIV (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत सुपर प्रॉफिट टैक्स के लिए उत्तरदायी है, इस अपील में निर्धारण के लिए छोटा प्रश्न उठ रहा है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि समापन की तारीख के बाद की अवधि के दौरान, आधिकारिक परिसमापक के हाथों में मौजूद धनराशि के किसी भी हिस्से को पहले दिन कंपनी की

चुकता शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करने के रूप में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं। मूल्यांकन वर्ष से संबंधित खाते का वर्ष और क्या निधि के किसी हिस्से को "आरक्षित" के रूप में पहचाना जा सकता है।

निर्धारिती एक बैंकिंग कंपनी है, जिसका नाम है, पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड, जो 8 अगस्त, 1960 को परिसमापन में चली गई। उस तारीख को आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का प्रभार ले लिया और उसी तारीख को एक बैलेंस-शीट तैयार की गई थी। इसके बाद, प्रत्येक वर्ष के लिए, परिसमापक: भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए केवल एक आय और व्यय विवरण तैयार करता था। जिस निर्धारण वर्ष से हमारा संबंध है वह 1963-64 है अर्थात् 31 मार्च 1963 को समाप्त वर्ष। उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित करदाता की कर योग्य आय रुपये 5,76,678 थी। अधिकारी की राय थी कि इस राशि पर सुपर प्रॉफिट टैक्स का दायित्व भी आएगा और चूंकि निर्धारिती ने अधिनियम के तहत कोई विवरणी जमा नहीं किया था, इसलिए विवरणी के लिए अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद निर्धारिती ने प्रभार्य लाभ को 'शून्य' दर्शाते हुए एक रिटर्न प्रस्तुत किया। उक्त रिटर्न के समर्थन में निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारी के समक्ष दलील दी कि चूंकि परिसमापन में एक कंपनी के संबंध में सुपर प्रॉफिट टैक्स का दायित्व

नहीं हो सकता है, 'मानक कटौती' की गणना के लिए अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्मूला इस तथ्य के कारण लागू नहीं था कि यह नहीं कहा जा सकता कि परिसमापन की स्थिति में कंपनी ने मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के पहले दिन शेयर पूंजी का भुगतान कर दिया है, जो समापन के काफी समय बाद था। समापन के बाद कुछ अन्य तर्क भी सामने रखे गए क्योंकि इस स्तर पर उनकी कोई भौतिक प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए उनका उल्लेख करना अनावश्यक है।

आयकर अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया और मामले पर लागू मानक कटौती के रूप में अधिनियम के 2(9) में उल्लिखित न्यूनतम राशि यदि 50,000/- रुपये को अपनाने के बाद, 2,04,740/- रुपये पर प्रभार्य लाभ की गणना की गई। अपीलीय सहायक आयुक्त, जिसके समक्ष निर्धारिती ने अपील दायर की थी, ने आयकर अधिकारी के आदेश की पुष्टि की। निर्धारिती ने मामले को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोचीन बेंच के समक्ष आगे की अपील में ले जाया। न्यायाधिकरण ने माना कि परिसमापक के हाथ में केवल एक अभिन्न निधि है जिसे शेयर पूंजी, आरक्षित और मुनाफे में विभाजित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण की राय में अधिनियम की धारा 27 में निहित छूट प्रावधान स्पष्ट रूप से मामले की ओर आकर्षित था, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम में शामिल कुछ भी ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होगा जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि भले

ही अधिनियम की धारा 27 के तहत छूट लागू न हो, अधिनियम की धारा 4, जो कि चार्जिंग धारा है, परिसमापन में निर्धारिती कंपनी पर लागू नहीं होगी क्योंकि 'मानक कटौती' निश्चय करने में असमर्थ थी। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने निर्धारिती की अपील की अनुमति दी और माना कि परिसमापन में कंपनी पर सुपर-प्रॉफिट टैक्स का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद, राजस्व के कहने पर, न्यायाधिकरण ने कानून के निम्नलिखित प्रश्न को उसकी राय के लिए केरल उच्च न्यायालय को भेजा: "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, क्या न्यायाधिकरण का यह मानना उचित था कि सुपर प्रॉफिट टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत कोई भी मूल्यांकन निर्धारिती कंपनी (परिसमापन में) पर नहीं किया जा सकता है"?

उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के इस विचार से सहमत हुआ कि किसी कंपनी के परिसमापन में चले जाने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि परिसमापक के हाथ में ऐसी कोई राशि है जिसे स्पष्ट रूप से कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। 'आरक्षित' जिसके संबंध में मानक कटौती की राशि तक पहुंचने के लिए अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिए गए अनुसार कंपनी की पूंजी की गणना की जानी है। संदर्भित प्रश्न का तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा सकारात्मक



उत्तर दिया गया, अर्थात् निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, राजस्व ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दायर की है।

दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों को सुनने के बाद, हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और यह अपील योग्यता से रहित है।

अधिनियम की धारा 4 जो कि चार्ज करने वाली धारा है, कहती है:

"4. कर का प्रभार-इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन, 1 अप्रैल, 1963 से शुरू होने वाले प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रत्येक कंपनी पर एक कर लगाया जाएगा (इस अधिनियम में सुपर के रूप में संदर्भित किया गया है) लाभ कर) पिछले वर्ष या पिछले वर्षों के अपने प्रभार्य लाभ के संबंध में, जैसा भी मामला हो, तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर या दरों पर मानक कटौती से अधिक हो।"

अभिव्यक्ति "प्रभार्य लाभ" को धारा 2 के खंड (5) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"2(5) "प्रभार्य लाभ" का अर्थ है आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का XLIII) के तहत किसी भी पिछले वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, गणना की गई एक निर्धारिती की कुल

आय, और तदनुसार पहली अनुसूची के प्रावधान समायोजित की गई।"

अगली परिभाषा, जो प्रासंगिक है, उसी धारा के खंड (9) में निहित है जो अभिव्यक्ति "मानक कटौती" से संबंधित है। वह खंड इस प्रकार पढ़ता है:

2(9) "मानक कटौती" का अर्थ है दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कंपनी की पूंजी के छह प्रतिशत के बराबर राशि या पचास हजार रुपये की राशि, जो भी अधिक हो:

बशर्ते कि जहां पिछला वर्ष बारह महीने की अवधि से अधिक लंबा या छोटा हो, वहां छह प्रतिशत या, मामला हो, पचास हजार रुपये की पूर्वोक्त राशि आनुपातिक रूप से बढ़ाई या घटाई जाएगी:

बशर्ते कि जहां किसी कंपनी की आय, लाभ और लाभ के संबंध में पिछले वर्ष अलग-अलग हों, तो उपरोक्त वृद्धि या कमी, जैसा भी मामला हो, की गणना सबसे लंबी अवधि के पिछले वर्ष की लंबाई के संदर्भ में की जाएगी।

उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि 'मानक कटौती' की गणना के लिए कंपनी की पूंजी का पता लगाना होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है। इससे हमारे लिए अधिनियम की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों की जांच करना आवश्यक हो जाता है जिसमें

सुपर प्रॉफिट टैक्स लगाने के उद्देश्य से किसी कंपनी की पूंजी की गणना करने के नियम शामिल हैं। प्रासंगिक प्रावधान उक्त अनुसूची के नियम 1 में निहित है जो निम्नलिखित शर्तों में है:-

"1. इस अनुसूची में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी कंपनी की पूंजी, मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के पहले दिन की राशि का योग होगी, इसकी भुगतान की गई शेयर पूंजी और इसका रिजर्व, यदि कोई हो, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का XI) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (vi-बी) के प्रावधान (बी) के तहत या उप-धारा (3) के तहत बनाया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का XLIII) की धारा 34, और इसके अन्य भंडार, जहां तक ऐसे अन्य भंडार में जमा की गई राशि को भारतीय प्रयोजनों के लिए इसके मुनाफे की गणना करने की अनुमति नहीं दी गई है आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का XI) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का XLIII), उस राशि से समाप्त हो जाता है जिसके द्वारा संपत्ति की लागत से आय होती है जिससे खंड (iii) के अनुसार या पहली अनुसूची के नियम 1 का खंड (vi) या खंड (viii) इसके प्रभार्य लाभ में शामिल नहीं है, कुल से अधिक है-

(i) इसके द्वारा उधार लिया गया कोई भी पैसा जो बकाया है; और

(ii) इस नियम के तहत पूंजी की गणना में किसी फंड, किसी अधिशेष और ऐसे किसी रिजर्व की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- किसी भी बही संपत्ति को बनाकर या बढ़ाकर (पुनर्मूल्यांकन या अन्यथा) अस्तित्व में लाई गई चुकता शेयर पूंजी या रिजर्व इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी की पूंजी की गणना के लिए पूंजी नहीं है।

स्पष्टीकरण 2- शेयर प्रीमियम खाते में जमा अपने शेयरों के मुद्दे पर कंपनी द्वारा नकद में प्राप्त किसी भी प्रीमियम को उसकी चुकता शेयर पूंजी का हिस्सा माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 3- जहां किसी कंपनी की आय, लाभ और लाभ के संबंध में पिछले वर्ष अलग-अलग हैं, इस अनुसूची के नियम 1 और नियम 2 के तहत पूंजी की गणना पिछले वर्ष के संदर्भ में की जाएगी जो पहले शुरू हुई थी।"

नियम की शर्तों से यह सबसे स्पष्ट है कि आवश्यक घटक जो मिलकर किसी कंपनी की पूंजी बनाएंगे, वे हैं:

(i) मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष के पहले दिन इसकी चुकता शेयर पूंजी।

(ii) भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (vi-बी) के प्रावधान (बी) के तहत या उप-धारा (3) के तहत बनाया गया इसका भंडार, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 का; और

(iii) जहां तक जमा की गई रकम का संबंध है, अन्य आरक्षित निधियों को आयकर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए कंपनी के मुनाफे की गणना में अनुमति नहीं दी गई है।

उपरोक्त रकम की कुल राशि से अनुभाग में निर्दिष्ट कुछ कटौतियाँ की जानी हैं, लेकिन ऐसी कटौतियों का विवरण वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी के पास मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के पहले दिन की तरह भुगतान की गई शेयर पूंजी है, तब तक कंपनी की पूंजी की गणना के लिए नियम में निर्धारित फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता है। "मानक कटौती" का कोई भी अनुप्रयोग और गणना पूरी तरह से कंपनी की पूंजी पर आधारित होने के कारण यह पूरी तरह से पता लगाने में असमर्थ हो जाता है। किसी कंपनी के परिसमापन में चले जाने के बाद, क्या यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पिछले

वर्ष को बनाने वाले किसी भी अगले वर्ष के पहले दिन की तरह, परिसमापक के हाथों में स्पष्ट रूप से भुगतान की गई शेयर पूंजी बनाने वाली कोई भी कंपनी की राशि मौजूद है या कोई भी राशि जो "आरक्षित" के रूप में वर्णित की जा सकती है? हमारी राय में उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

कमिश्नर ऑफ़ इनलैंड रेवेन्यू बनाम जॉर्ज ब्यूरेल में, पोलक एम.आर. ने कहा:

"... परिसमापक द्वारा अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने के बाद, अधिशेष लाभ और पूंजी के बीच अंतर को जारी रखना एक गलत धारणा है। बिर्च बनाम क्रॉपर में लॉर्ड मैकनागटेन मामले जिसने अंततः वरीयता के बीच अधिकारों का निर्धारण किया और ब्रिजवाटर कैनल के सामान्य शेयरधारकों ने कहा: मुझे लगता है कि यह उन परिसंपत्तियों के बारे में बात करने के निष्कर्ष की ओर ले जाता है जो इस आवेदन का विषय "अधिशेष संपत्ति" के रूप में हैं जैसे कि वे पूंजी में वृद्धि या वृद्धि थीं कंपनी इससे अलग होने और विभिन्न विचारों के लिए खुली होने में सक्षम है। वे कंपनी की संपत्ति का हिस्सा और पारसल हैं- संयुक्त स्टॉक या सामान्य निधि का हिस्सा और पारसल- जो

समापन की तिथि पर कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है।"

कानून के उपरोक्त कथन को इस न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त बनाम गिरधरदास एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और अपनाया गया था और यह माना गया था कि किसी कंपनी के संबंध में उसके परिसमापन की तारीख के बाद समापन पर, पूंजी, आरक्षित निधि और संचित लाभ के बीच का अंतर मिट जाता है और परिसमापक के हाथ में केवल एक एकीकृत या समेकित निधि रह जाती है। उतार-चढ़ाव वाली शेयर पूंजी या रिजर्व की अवधारणा, जो दूसरी अनुसूची के नियम 1 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मूल आधार है, परिसमापन में एक कंपनी के संबंध में पूरी तरह से विदेशी है।

आयकर आयुक्त, बेंगलूर बनाम बी.सी. श्रीनिवास शेटी, में इस न्यायालय ने बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की योजना के तहत, कर का शुल्क तब तक आकर्षित नहीं होगा जब तक कि मामला या लेनदेन प्रासंगिक गणना प्रावधानों के शासन के अंतर्गत नहीं आता है। "प्रत्येक मामले में गणना प्रावधानों का चरित्र आरोप की प्रकृति से संबंध रखता है। इस प्रकार, चार्जिंग अनुभाग और गणना प्रावधान मिलकर एक एकीकृत कोड बनाते हैं। जब कोई ऐसा मामला होता है जिस पर गणना प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा

मामला प्रभार अनुभाग के अंतर्गत आने का इरादा नहीं था। अन्यथा, किसी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि हालांकि एक निश्चित आय प्रभार अनुभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए गणना की कोई योजना नहीं है। अधिनियम में स्पष्ट विधायी पैटर्न इस तरह के निष्कर्ष के खिलाफ है। सुपर प्रॉफिट टैक्स अधिनियम, 1963 की योजना बिल्कुल समान है; उपरोक्त टिप्पणियाँ हमारे सामने आने वाले मामले पर पूरी तरह से लागू होती हैं। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि प्रावधानों के अनुसार कंपनी की पूंजी और उसके भंडार की गणना के लिए अधिनियम में निहित है और परिसमापन में कंपनी के संबंध में कोई आवेदन नहीं हो सकता है और परिणामस्वरूप 'मानक कटौती' सुनिश्चित करने में असमर्थ है, अधिनियम की धारा 4 के तहत सुपर प्रॉफिट टैक्स का आरोप ऐसे मामले में आकर्षित नहीं होता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार यह अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

एम.एल.ए.

अपील खारिज की गई।



यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।